2-21

वकील अप्रार्थीगण/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल
प्रार्थना पत्र धारा 251-A RTA पोषणीय नहीं
पाये जाने पर खारिज किया जा चुका है। मूल
प्रार्थना पत्र के खारिज होजाने से इस प्रकरण
का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। अतः
इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है।
पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तामील
जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner